राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. (UHIN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 01 जुलाई 2026

वर्ष 16, अंक 95, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

योगी सरकार के 'प्रोजेक्ट प्रवीण' से संवरेगा युवाओं का कल -मंत्री कपिल देव अग्रवाल

पुणे मंगेतर मर्डर केसः सिया-चेतन ने अपने 3 साल के प्लान के लिए ले ली केतन अग्रवाल की जान!

इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ सरकार करेगी अपील

● इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार करने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार आदेश के खिलाफ अपील करेगी। सरकार डबल बेंच या फुल बेंच में अपील दायर करेगी।

ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार करने का मामला

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार डबल बेंच या फुल बेंच में अपील करेगी। प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक को लेकर 13 जुलाई को फिर सुनवाई होगी, लेकिन प्रदेश सरकार इसके खिलाफ जोरदार तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनको योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासक बनाया। यह उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि प्रधानों को प्रशासक का चार्ज दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इस याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक में पहले ही ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। यह आयोग प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आरक्षण तय होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव में करीब छह महीने की देरी हो सकती है। इसी को आधार बनाते हुए सरकार फैसले को चुनौती देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तारीख बताने को कहा है। इस बीच होने वाली अगली सुनवाई पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश भी सरकार को दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार करने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार आदेश के खिलाफ अपील करेगी। सरकार डबल बेंच या फुल बेंच में अपील दायर करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने यह आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते। इसके साथ ही सरकार को चुनावी रुपरेखा पेश करने को कहा है। सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रुपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि सरकार ओबीसी समर्पित आयोग रिपोर्ट का तथ्य रख सकती है। सरकार का मानना है कि ओबीसी समर्पित आयोग के बिना नहीं हो सकते हैं।

कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म

यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था। प्रदेश में 57 हजार से ज्यादा ग्राम हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होने के चलते सरकार की तरफ से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया था। सरकार पहले ही ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। यह आयोग प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आरक्षण तय होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव में करीब छह महीने की देरी हो सकती है।

यूपी पंचायत चुनाव में साढ़े 12 करोड़ से अधिक वोटर

राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे पहले हाल ही में पंचायत चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट भी जारी की थी। फाइनल की गई वोटर लिस्ट के मुताबिक, पंचाय चुनाव के लिए यूपी में अब 12 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर हैं। वोटर लिस्ट में लगभग 1.81 करोड़ से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं।

दुष्कर्म पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए काफी: हाई कोर्ट

● इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म 'कानूनी शब्द' है और पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने 44 साल पुराने एक दुष्कर्म मामले में अभियुक्त राकेश की सात साल की सजा बरकरार रखी और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म 'कानूनी शब्द' है ना कि 'मेडिकल'। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए काफी है। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ दुष्कर्म के 44 साल पुराने मामले में अभियुक्त राकेश की आपराधिक अपील खारिज कर दी है और सात साल की सजा को बरकरार रखा है। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये जुर्माना और लगा दिया है। कहा है कि यह राशि एक महीने के भीतर पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए। अगर पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है तो अपीलार्थी राशि उसके कानूनी वारिसों को देगा। जुर्माना न देने पर छह महीने की और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सत्र न्यायालय ने मई 1983 में सजा सुनाई थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी के वकील का कहना है कि उसके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। पीड़िता और अभियोजन के अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं। अभियुक्त को इसलिए प्रोबेशन पर रिहा करना चाहिए क्योंकि मामला लगभग 42 वर्षों से कोर्ट में लंबित है और उसकी उम्र 60 साल से अधिक है। यह प्रकरण प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद) के कैंट थाने में दर्ज हुआ था। राजापुर निवासी नाबालिग पीड़िता ने अपनी गवाही में बताया था कि 22 फरवरी 1982 की सुबह करीब 9.30 बजे जब वह नाले के पास शौच के लिए गई थी तो मोहल्ले में ही रहने वाले अभियुक्त वहां मौजूद थे। सबसे पहले राकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर प्रकाश ने। विरोध करने पर उसे मारा-पीटा। पीठ ने गंगा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का उल्लेख भी किया कि दुष्कर्म पीड़िता के साक्ष्य को पुष्टि की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपीलार्थी के वकील की यह दलील भी भरोसेमंद नहीं मानी कि पीड़िता का चरित्र खराब था। कहा, प्रकरण में पीड़िता का बयान मेडिकल साक्ष्य से भी मेल खाता है, जिसमें शरीर पर छह चोटें दर्ज थीं। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को धारा 376 आइपीसी के तहत सही दोषी ठहराया है। हाई कोर्ट ने 23 जून को सुनाए गए अपने निर्णय में जमानत मुचलका तत्काल प्रभाव से रद करते हुए यह भी कहा है कि अगर अपीलार्थी जमानत पर है तो उसे बाकी बची सजा काटने के लिए 10 दिन के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में समर्पण करना होगा। ऐसा नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट तुरंत कानूनी कार्रवाई करे। अपीलार्थी को धारा 428 सीआरपीसी के तहत 'सेट-आफ' का लाभ मिलेगा। यानी मुकदमे के दौरान हिरासत में बिताई गई अवधि सजा में से घटाई जाएगी।

संक्षिप्त ख़बरें

पल्स पोलियो अभियान 28 जून से शुरू

सिद्धार्थनगर। उसका बाजार क्षेत्र में रविवार को 28 जून से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जा रहा है। उसका बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉ. एसके पटेल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत से पोलियो (पोलियोमाइलाइटिस) का पूर्ण उन्मूलन करना है। अधीक्षक डॉ. एसके पटेल ने क्षेत्र के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए शून्य से लेकर पांच वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। उन्होंने कहा कि बूथ से छूटे हुए बच्चों को सोमवार से शुक्रवार घर -घर जाकर पोलियों की खुराक पिलाया जायेगा जिसके लिए छप्पन बूथ, सैंतीस टीम, चार ट्रांज़िट टीम, एक मोबाइल टीम और तेरह सुपरवाइजर बनाएं गए हैं जो कि कुल 23857 हजार बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य रखा गया हैं।

श्रीकृष्ण जन्म की कथा सुन श्रोता हुए भाव विभोर

बिस्कोहर। ग्राम पंचायत खरिकवा केरवानिया में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के पांचवें दिन शुक्रवार की रात्रि कथा व्यास पंडित काली प्रसाद ने भगवान श्रीकृष्ण के अवतार की मार्मिक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जब-जब अधर्म बढ़ता है, तब-तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान श्रीकृष्ण जन्म प्रसंग के दौरान श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होकर भगवान श्रीकृष्ण जयघोष करते रहे। कथा के समापन पर आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान मंत्र राम यादव व गीता यादव सहित सौदागर, मुरली मौर्य, शिवदेव, जगराम, चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा, चंद्रिका प्रसाद मिश्रा, दिवाकर प्रसाद मिश्रा, राजाराम यादव, धनीराम यादव, बृजलाल यादव, ओपी यादव, कुलदीप यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

01 जुलाई से लागू होगी विकसित भारत-जी राम जी योजना

● ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन के रोजगार का अवसर, आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण को मिलेगी नई गति

● उत्तर प्रदेश में योजना के शुभारंभ की जोरदार तैयारियां- केशव प्रसाद मौर्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी)' ग्रामीण भारत के विकास और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, उनकी आय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा तथा गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि 01 जुलाई, 2026 से लागू होने वाली इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के सशक्त संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार की गारंटी अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यह निर्णय ग्रामीण श्रमिकों की आय वृद्धि, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और गांवों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के अतिरिक्त दिनों से ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत होगी, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मौर्य ने कहा कि वीबी-जी राम जी अभियान ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, पारदर्शी प्रक्रिया और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। योजना के प्रभावी संचालन से गांवों में रोजगार के साथ-साथ विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गांवों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश के ग्रामीण परिवारों की भी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

सम्पर्क सूत्र-बी0एल0यादव

सहरिया बस्ती में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, गंभीर घायल

एससी-एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज

नाराहट में दबंगई का मामला, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी का भी आरोप

ललितपुर। थाना नाराहट क्षेत्र की सहरिया बस्ती में एक युवक के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के अनुसार गांव के एक युवक ने लाठी-डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरधा ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल ललितपुर रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ बीएनएस एवं एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना नाराहट निवासी लुखई पुत्र हरी अहिरवार द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया है कि 23 जून 2026 की शाम लगभग 8 बजे उनका पुत्र वकील गांव के राहुल यादव पुत्र भानसिंह यादव के साथ सहरिया बस्ती में मौजूद था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि राहुल यादव ने गाली-गलौज करते हुए वकील पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

लो वोल्टेज और ट्रिपिंग से ग्रामीण बेहाल

● गांव में एक और ट्रांसफार्मर लगाने की मांग

कौलापुर। भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली की लगातार ट्रिपिंग एवं लो वोल्टेज की समस्या से डीघ ब्लॉक के बेरासपुर गांव के ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। गांव में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं मिलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विभाग से गांव में एक और 100 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आए दिन बिजली ट्रिप होने और लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। आरोप है कि कई बार ग्रामीण आपस में चंदा कर विद्युत कर्मियों से फाल्ट ठीक कराते हैं, लेकिन मरम्मत के बाद भी व्यवस्था एक-दो दिन से अधिक सुचारु नहीं रह पाती।

ग्रामीणों के अनुसार बेरासपुर में वर्तमान में 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है, जबकि गांव में बिजली की खपत लगातार बढ़ चुकी है। बढ़े हुए लोड के कारण ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे बार-बार फाल्ट और लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न होती रहती है। भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था चरमराने से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। उमस के कारण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है। विजय कुमार मिश्रा, बेचन मिश्रा, लक्ष्मीकांत तिवारी, भगेडू प्रजापति, चंद्रेश शर्मा, शिव प्रजापति, विनय शर्मा समेत ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से शीघ्र क्षमता वृद्धि करते हुए नया ट्रांसफार्मर स्थापित कराने की मांग की है, ताकि गांववासियों को निर्बाध और पर्याप्त बिजली आपूर्ति मिल सके।

उम्रकैद से लेकर जुर्माना तक... राम मंदिर दान चोरी के आरोपियों पर लगीं ये 5 धाराएं, क्या मिल सकती है सजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की राशि के गबन और अनियमितताओं के मामले में बड़ा कानूनी कदम उठाया गया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामजन्मभूमि कोतवाली में स्रढ्ढक्र दर्ज कराई गई है. इस मामले में टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया. सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज में कुछ आरोपी चढ़ावे की राशि से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों में शामिल दिखाई दिए हैं. आरोप है कि कुछ लोगों ने न केवल कथित रूप से धन के गबन में भूमिका निभाई, बल्कि अन्य आरोपियों की मदद भी की. इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आइए जानते हैं आखिर इन 8 लोगों पर स्रढ्ढक्र की किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है. इन धाराओं में क्या सजा मिलती है?...

धारा 316(5)- यह धारा आपराधिक न्यासभंग (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) से जुड़ी है. यह उन मामलों में लगाई जाती है, जहां किसी व्यक्ति को सौंपे गए धन या संपत्ति का दुरुपयोग या गबन किया जाता है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

धारा 317(4)- यह धारा चोरी की संपत्ति को जानबूझकर रखने, खरीदने या उसके कारोबार से संबंधित है. इस अपराध में भी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है.

धारा 317(5)- यह धारा चोरी की संपत्ति को छिपाने, बेचने या ठिकाने लगाने में मदद करने वालों पर लगाई जाती है, जिसमें तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.

धारा 61- यह धारा आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिसके तहत दो या अधिक लोगों द्वारा किसी अवैध कार्य को अंजाम देने के लिए बनाई गई योजना को अपराध माना जाता है.

धारा 3(5)- यह धारा सामूहिक उद्देश्य से किए गए अपराधों में सभी आरोपियों की समान जिम्मेदारी तय करती है.

सूत्रों के अनुसार, मामले में दर्ज स्रढ्ढक्र में ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी या शीर्ष अधिकारी का नाम शामिल नहीं है. मुकदमा मुख्य रूप से उन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिनकी भूमिका सीसीटीवी फुटेज और प्रारंभिक जांच में संदिग्ध पाई गई है. गौरतलब है कि चढ़ावा गबन का मामला सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने दान राशि की गिनती और बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं. काउंटिंग रूम में सख्त निगरानी, फ्रिस्किंग, बिना जेब वाले कपड़ों की अनिवार्यता, डबल लॉक सिस्टम और 180 दिन तक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने जैसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

कानपुर में 800 कोचिंग, फायर NOC सिर्फ 40 के पास... लखनऊ अग्निकांड के बाद 54 बिल्डिंगें सील

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद से हर जिले का प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. कानपुर जिला प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहा है. शहर में अवैध रूप से बेसमेंट में कोचिंग, अस्पताल या फिर रेजिडेंट बिल्डिंग में कमर्शियल काम करने वाली संपत्तियों को सील किया जा रहा है. इतना ही नहीं, फायर सेफ्टी की एनओसी न होने पर भी सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है. 3 दिनों में कानपुर में 54 इमारतें सील की गई हैं. जानकारी के अनुसार, कानपुर में सिर्फ 54 संपत्तियों को सील ही नहीं किया गया है, 90 बिल्डिंग्स को नोटिस भी दिया गया है. इस कार्रवाई की रिपोर्ट अब सरकार को भेजी जाएगी. इन दिनों कानपुर में अधिकारी 'ऑन द फील्ड' नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस कार्रवाई से दो बड़े सवाल जरूर उठते हैं कि अब तक ये अधिकारी कहां थे और क्या कार्रवाई कर रहे थे? क्या अधिकारी किसी हादसे के होने का इंतजार कर रहे थे.

शहर में 800 कोचिंग सेंटर

बता दें कि कानपुर में 800 से ज्यादा कोचिंग सेंटर काकादेव मंडी इलाके सहित कई इलाकों में संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई सारे नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे हैं. कानपुर अग्निशमन विभाग की मानें तो 800 में से केवल 40 कोचिंग सेंटर के पास ही फायर विभाग का NOC मिला है. बाकी सारे सेंटर छात्रों के जीवन को खतरे में डालकर शिक्षा दे रहे हैं. अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा खुद बताते हैं कि कोचिंग संचालक अग्नि सुरक्षा मानकों का कोई पालन नहीं कर रहे थे.

KDA पर लगे गंभीर आरोप

अब ऐसे में सवाल कोचिंग संचालकों पर उठाया जाना लाजमी है या फिर अग्निशमन विभाग पर. आरोप है कि कानपूर डेवलपमेंट अथॉरिटी (KDA) में अभियंताओं की भारी भरकम फौज है. बावजूद इसके अथॉरिटी की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं. इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप है. कोचिंग संचालकों का कहना है कि जबच्च्ष्ठ निर्माण करने वाले को नोटिस भेजता है, तो उसे पुलिस को भी दिया जाता है. फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद कोचिंग संचालकों ने बच्चों की छुट्टी कर दी है. वह उन्हें ऑनलाइन क्लासेज में शामिल होने के लिए कह रहे हैं.

भारतीय महर्षि सुश्रुत को वैश्विक सम्मान

मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनका योगदान समय, भूगोल और संस्कृति की सीमाओं को पार कर संपूर्ण मानवता की धरोहर बन जाता है। भारतीय चिकित्सा परंपरा के महान आचार्य महर्षि सुश्रुत ऐसे ही व्यक्तित्वों में शामिल हैं। चिकित्सा विज्ञान, विशेष रूप से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान इतना व्यापक और दूरदर्शी माना जाता है कि उन्हें विश्वभर में शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। लगभग 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने जिस वैज्ञानिक दृष्टि, व्यावहारिक ज्ञान और चिकित्सा कौशल का परिचय दिया था, वह आज भी चिकित्सा इतिहास के विद्वानों और आधुनिक चिकित्सकों को प्रभावित करता है। इसी ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए जून 2026 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह केवल एक प्रतिमा की स्थापना नहीं थी, बल्कि विश्व चिकित्सा इतिहास में भारत के योगदान की एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मान्यता थी।

एडिनबर्ग का यह प्रतिष्ठित संस्थान विश्व के सबसे पुराने और सम्मानित शल्य चिकित्सा संस्थानों में से एक माना जाता है। चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और शल्य विज्ञान के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे संस्थान के परिसर में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा की स्थापना इस तथ्य का प्रमाण है कि आधुनिक चिकित्सा जगत अब विज्ञान और चिकित्सा के इतिहास को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देख रहा है तथा उन प्राचीन सभ्यताओं के योगदान को भी उचित सम्मान दे रहा है जिन्होंने मानव ज्ञान की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रतिमा की स्थापना में भारतीय मूल के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक प्रोफेसर चंद्र चेरुवु और उनके परिवार की विशेष भूमिका रही, जिनके प्रयासों से यह ऐतिहासिक सम्मान संभव हो सका।

महर्षि सुश्रुत का जीवन भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिक ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि वे लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुए थे। उस समय संसार के अनेक क्षेत्रों में चिकित्सा विज्ञान अभी प्रारंभिक अवस्था में था, जबकि भारत में शरीर रचना विज्ञान, रोग निदान, औषध विज्ञान और शल्य चिकित्सा जैसे विषयों पर व्यवस्थित अध्ययन किया जा रहा था। महर्षि सुश्रुत ने अपने अनुभव, अनुसंधान और अवलोकनों के आधार पर चिकित्सा ज्ञान को एक संगठित स्वरूप प्रदान किया। उनकी प्रसिद्ध कृति सुश्रुतसंहिता आज भी चिकित्सा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिनी जाती है। यह केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक चेतना, अनुसंधान पद्धति और व्यावहारिक चिकित्सा ज्ञान का विस्तृत दस्तावेज है।

सुश्रुतसंहिता में शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अत्यंत व्यवस्थित वर्णन मिलता है। इसमें विभिन्न रोगों के उपचार, घावों की देखभाल, हड्डियों के उपचार, शरीर की संरचना, शल्य उपकरणों तथा चिकित्सा नैतिकता के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि उस समय चिकित्सा विज्ञान केवल अनुभव या परंपरा पर आधारित नहीं था, बल्कि उसमें वैज्ञानिक अवलोकन, वर्गीकरण और परीक्षण की स्पष्ट पद्धति मौजूद थी। ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संकलित करना किसी भी विकसित वैज्ञानिक परंपरा की पहचान होती है और महर्षि सुश्रुत का कार्य इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है।

महर्षि सुश्रुत की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा का विकास शामिल है। विशेष रूप से नाक के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का उनका वर्णन चिकित्सा इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में विभिन्न अपराधों के दंडस्वरूप कभी-कभी नाक काट दी जाती थी। ऐसी स्थिति में चेहरे की संरचना को पुनः सामान्य रूप में लाना अत्यंत कठिन कार्य था। महर्षि सुश्रुत ने त्वचा प्रत्यारोपण और पुनर्निर्माण की जो तकनीक विकसित की, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभिक आधारशिला माना जाता है। यही कारण है कि उन्हें पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा का अग्रदूत भी कहा जाता है। आज जब चिकित्सा विज्ञान अत्याधुनिक उपकरणों और जटिल तकनीकों से सुसज्जित है, तब भी इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत की दूरदर्शिता अपने समय से बहुत आगे थी।

सुश्रुतसंहिता में लगभग 300 प्रकार की शल्य प्रक्रियाओं और 100 से अधिक शल्य उपकरणों का वर्णन मिलता है। इन उपकरणों का वर्गीकरण उनके उपयोग के आधार पर किया गया था। इनमें काटने, छेद करने, पकड़ने, निकालने और सिलाई करने वाले उपकरण शामिल थे। यह वर्गीकरण दर्शाता है कि उस समय शल्य चिकित्सा अत्यंत संगठित और तकनीकी रूप से विकसित थी। आधुनिक शल्य चिकित्सा में जिन सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार माना जाता है, उनके प्रारंभिक स्वरूप का उल्लेख सुश्रुतसंहिता में देखा जा सकता है।

महर्षि सुश्रुत केवल शल्य चिकित्सक ही नहीं थे, बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षक भी थे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व दिया। उनके अनुसार किसी विद्यार्थी को वास्तविक रोगी पर शल्य क्रिया करने से पहले विभिन्न वस्तुओं और मृत जीवों पर अभ्यास करना चाहिए ताकि वह आवश्यक कौशल विकसित कर सके। यह दृष्टिकोण आधुनिक चिकित्सा शिक्षा की मूल अवधारणा से मेल खाता है, जहां सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण को अनिवार्य माना जाता है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि महर्षि सुश्रुत केवल चिकित्सक नहीं थे, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के भी महान विचारक थे।

शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मानव शरीर को समझने के लिए प्रत्यक्ष अध्ययन और निरीक्षण पर बल दिया। उनका मानना था कि किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन आवश्यक है। यह दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है। उनके विचारों में तर्क, परीक्षण और अनुभव का विशेष महत्व दिखाई देता है। यही कारण है कि अनेक इतिहासकार उन्हें प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिकों में शामिल करते हैं। महर्षि सुश्रुत चिकित्सा नैतिकता के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने चिकित्सकों के लिए उच्च नैतिक मानदंड निर्धारित किए। उनके अनुसार रोगी का हित सर्वोपरि होना चाहिए। चिकित्सक को विद्वान, संवेदनशील, ईमानदार और अनुशासित होना चाहिए। रोगी के प्रति करुणा और सेवा भाव को उन्होंने चिकित्सा का आधार माना। आज चिकित्सा नैतिकता आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, किंतु यह जानकर आश्चर्य होता है कि इन सिद्धांतों का उल्लेख हजारों वर्ष पूर्व भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में किया जा चुका था।

एडिनबर्ग में स्थापित उनकी प्रतिमा का महत्व केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक भी है। लंबे समय तक विज्ञान और चिकित्सा के इतिहास को मुख्यतः यूरोपीय उपलब्धियों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता रहा। किंतु आधुनिक शोध और ऐतिहासिक अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि विज्ञान के विकास में भारत, चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा इसी व्यापक ऐतिहासिक सत्य की स्वीकारोक्ति है। यह संदेश देती है कि ज्ञान किसी एक राष्ट्र, संस्कृति या सभ्यता की संपत्ति नहीं होता, बल्कि यह मानवता की साझा विरासत है।

यह सम्मान भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि का भी संकेत है। आज विश्वभर के विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों को नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जा रहा है। महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा इसी बदलती वैश्विक सोच का प्रतीक है, जिसमें प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। भारत के लिए यह अवसर विशेष गर्व का विषय है। यह केवल एक महान ऋषि का सम्मान नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिक और बौद्धिक परंपरा की अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी है। इससे भारतीय युवाओं, शोधकर्ताओं और चिकित्सा विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है कि ज्ञान और अनुसंधान की परंपरा इस देश में अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रही है। यह सम्मान हमें अपने प्राचीन ग्रंथों, वैज्ञानिक विरासत और बौद्धिक इतिहास के गंभीर अध्ययन के लिए भी प्रेरित करता है।

महर्षि सुश्रुत की विरासत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। चिकित्सा विज्ञान निरंतर विकसित हो रहा है, नई तकनीकें विकसित हो रही हैं और उपचार के नए साधन सामने आ रहे हैं, किंतु चिकित्सा का मूल उद्देश्य आज भी वही है जो हजारों वर्ष पहले था, अर्थात मानव पीड़ा को कम करना और जीवन की रक्षा करना। महर्षि सुश्रुत का जीवन और कार्य इसी आदर्श के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने चिकित्सा को केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि मानव सेवा का माध्यम माना।

जून 2026 में एडिनबर्ग में स्थापित उनकी कांस्य प्रतिमा केवल धातु की एक कलाकृति नहीं है। यह उस वैज्ञानिक चेतना, मानवीय संवेदना और ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जिसने प्राचीन भारत को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान दिलाया। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को स्मरण कराती रहेगी कि मानव सभ्यता की प्रगति अनेक संस्कृतियों और ज्ञान परंपराओं के संयुक्त योगदान का परिणाम है। महर्षि सुश्रुत का सम्मान वास्तव में उस सार्वभौमिक ज्ञान का सम्मान है जिसने समय, भाषा और सीमाओं को पार करते हुए मानवता की सेवा की है। एडिनबर्ग में उनका सम्मान इस सत्य की सशक्त घोषणा है कि चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बहुआयामी है और उसमें भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक तथा सदैव स्मरणीय रहेगा।

महेन्द्र तिवारी

क्रूड के दाम गिरने पर भी सस्ता क्यों नहीं हो रहा तेल?

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

दुनिया में ब्रेंट क्रूड 70-75 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। मार्च 2026 में होर्मुज बंद होने के बाद ये 115 डॉलर तक पहुंचा था। लेकिन दिल्ली, मुंबई, कानपुर के पेट्रोल पंप पर कीमत वही खड़ी है। तेल अभी भी 105 रुपए लीटर तक मिल रहा है जबकि सरकार 20 फीसदी एथेनॉल की मिलावट भी कर रही है। आम आदमी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब क्रूड के दाम गिर रहे तब तेल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है ? जवाब एक लाइन का नहीं है। इसके पीछे 4 कारण हैं। टैक्स ही असली खेलता है- भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत का 50-55% हिस्सा टैक्स होता है। इसमें केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्य का वैट शामिल है। 2020 में जब कोरोना में क्रूड 20 डॉलर पर गिर गया था, तब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी थी। नतीजा ये हुआ कि क्रूड सस्ता होने का फायदा पंप तक नहीं पहुंचा, और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। 2026 में भी वही पैटर्न है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरकार अगर चाहे तो एक्साइज घटाकर तुरंत 5-7 रुपए लीटर राहत दे सकती है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती क्योंकि तेल से मिलने वाला टैक्स राजकोष की सबसे बड़ी आमदनी है। बजट बैलेंस रखना है तो टैक्स घटाना मुश्किल है। कई बार होता ये है कि क्रूड गिरता है तो सरकार टैक्स बढ़ा देती है। क्रूड बढ़ता है तो कंपनियां कीमत नहीं बढ़ा पातीं। बीच में जनता फंस जाती है। तेल कंपनियों का घाटा और अंडर-रिकवरी- फरवरी 2026 में जब होर्मुज बंद हुआ था, क्रूड 72 डॉलर से बढ़कर 115 डॉलर पर चला गया था। लेकिन चुनाव और होर्मुज संकट के कारण सरकारी तेल कंपनियों ने कीमत नहीं बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि कंपनियों को प्रति लीटर 25 रुपए से ज्यादा का नुकसान होने लगा। ढ्रूस्त्र ने भी कहा था कि लंबे समय तक कीमतें स्थिर नहीं रखी जा सकतीं। अब जब क्रूड गिरा है, कंपनियां पहले अपने घाटे की भरपाई कर रही हैं। इसलिए क्रूड 70 डॉलर पर आने के बाद भी कंपनियां 2-3 रुपए लीटर की कटौती कर रही हैं, 10-15 रुपए की नहीं। डॉलर-रुपया का खेल- भारत 85% क्रूड आयात करता है। भुगतान डॉलर में होता है। अगर रुपया कमजोर है तो क्रूड भले सस्ता हो, भारत के लिए महंगा पड़ता है। अभी 1 डॉलर 72 रुपए के आसपास है। इसलिए क्रूड में 10% गिरावट का असर सिर्फ 3-4% ही दिखता है। जब रुपया मजबूत होता है और क्रूड गिरता है, तब ही असली राहत मिलती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये दोनों फैक्टर साथ आएं तो पेट्रोल 6-7 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है। टाइम लैग और इन्वेंट्री का गणित- तेल कंपनियां क्रूड 30-45 दिन पहले खरीदती हैं। यानी आज जो क्रूड 70 डॉलर पर मिल रहा है, वो शायद मई के रेट पर खरीदा गया है जब क्रूड 90 डॉलर पर था। दूसरा, कंपनियां फेजवाइज कीमतें बढ़ाती-घटाती हैं। 11 दिन में 4 बार बढ़ोतरी का पैटर्न 2026 में देखा गया। अब गिरावट भी धीरे-धीरे पास ऑन हो रही है। दिल्ली में 9 दिन में पेट्रोल 78 पैसे सस्ता हुआ है। तो कब सस्ता होगा? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, अगर ब्रेंट क्रूड कई हफ्तों तक 80-85 डॉलर के दायरे में रहा तो पेट्रोल-डीजल 2-5 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि सरकार एक्साइज न बढ़ाए, रुपया स्थिर रहे, और होर्मुज जैसे नए संकट न आएं। क्रूड का दाम गिरना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत 3 चीजें तय करती हैं: क्रूड का इंटरनेशनल रेट, रुपया-डॉलर का रेट, सरकार का टैक्स, जब तक तीनों साथ में फेवर में नहीं आते, पंप पर बोर्ड वही रहेगा। इसलिए अगली बार जब न्यूज में 'क्रूड 10% गिरा' दिखे, तो समझ लेना कि पंप पर असर सिर्फ 1-2 रुपए का आएगा। बाकी 8 रुपए टैक्स और घाटे की भरपाई में चले जाते हैं।

कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले वकील की कहानी लेकर आ रहे राजकुमार राव, 'प्रहार' का टीजर आउट

लखनऊ। उज्जवल निकम, देश के एक जाने-माने वकील थे जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी और इकलौते जिंदा पकड़े गए आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। अब उज्जवल निकम और केस की कहानी को बड़े पर्दे पर अभिनेता राजकुमार राव लाने जा रहे हैं। एक्टर की मोस्ट अवेटेड फिल्म प्रहार का टीजर आखिरकार जारी कर दिया गया है। फिल्म में राजकुमार उज्जवल निकम की भूमिका में दमदार लग रहे हैं।

प्रहार का टीजर आउट

फिल्म का टीजर उज्जवल निकम से शुरू होता है जो कोर्ट में अजमल कसाब को फांसी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। फिल्म में उनका लुक सबसे दमदार है। वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर के लुक्स भी धमाकेदार हैं। करीब 2 मिनट के इस टीजर ने दर्शकों का दिल खुश कर दिया।

क्या है फिल्म की कहानी?

इस फिल्म में राजकुमार पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम का रोल निभा रहे हैं, जिन्होंने मुंबई में 26/11 के हमलों के मुख्य आरोपी अजमल कसाब को सजा दिलाने में मदद की थी। फिल्म में ललित ने कसाब का रोल किया है। टीजर में उस रात के परेशान करने वाले दृश्य भी दिखाए गए हैं जब कसाब ने मुंबई में आम लोगों पर गोलियां चलाई थीं। यह फिल्म उस भयानक घटना को उस ट्रायल के नजरिए से दिखाती है जिसमें कसाब को दोषी ठहराया गया था।

कब रिलीज होगी प्रहार?

सच्ची घटनाओं पर आधारित राजकुमार राव की फिल्म प्रहार 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगस्त के महीने में और भी फिल्में आ रही हैं। 26 अगस्त को टॉक्सिक और 28 अगस्त को श्रद्धा कपूर की ईठा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की वन आ रही है। 20 दिन में राजकुमार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है, यह रिलीज के बाद ही मालूम पड़ेगा।

कौन है उज्जवल निकम

उज्ज्वल निकम देश के सबसे चर्चित और सम्मानित विशेष लोक अभियोजकों में गिने जाते हैं। उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक और आतंकवाद से जुड़े मामलों में सरकार की ओर से अदालत में पैरवी की है। अपनी मजबूत दलीलों और कानूनी रणनीति के दम पर उन्होंने कई दोषियों को सख्त सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली सरकारी वकीलों में से एक माना जाता है। उनके प्रमुख केसों की बात करें तो, 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा और फांसी की सजा, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसे केसों के लिए उन्हें जाना जाता है।

सत्ता नहीं, मिट्टी की राजनीति का आखिरी योद्धा- सुभाष यादव

[एक नाम, एक विचार, एक आंदोलन – सुभाष यादव]
[नर्मदा की लहरों में सिमटा एक पूरा युगः मिट्टी का सपूत सुभाष यादव]

कुछ लोग इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ लोग भूगोल में बस जाते हैं। सुभाष यादव उन विरले जननेताओं में थे, जिनकी स्मृति केवल पुस्तकों या राजनीतिक अभिलेखों में नहीं, बल्कि निमाड़ की मिट्टी, नर्मदा की लहरों और किसानों की आँखों में आज भी जीवित है। 26 जून की पुण्यतिथि हमें केवल एक पूर्व उपमुख्यमंत्री म.प्र. शासन को याद करने का अवसर नहीं देती, बल्कि उस विचारधारा के सामने खड़ा करती है जिसने राजनीति को सत्ता का मार्ग नहीं, समाज परिवर्तन का साधन माना। बोरावां की धरती पर जन्मा यह व्यक्तित्व आज भी इस प्रश्न का उत्तर है कि जननेता आखिर बनता कैसे है।

1 अप्रैल 1946 को एक साधारण कृषक परिवार में जन्मे सुभाष यादव ने कृषि स्नातक की शिक्षा प्राप्त की, पर उनकी सबसे बड़ी पाठशाला खेत और किसान रहे। वे उन नेताओं में नहीं थे जो गाँवों को भाषणों में खोजते हैं; वे गाँवों की धड़कनों में बसते थे। उनके व्यक्तित्व में मिट्टी की सादगी और नर्मदा की गहराई का अद्भुत संगम था। मिट्टी की गंध पढ़ना, मौसम की भाषा समझना और किसान की आँखों में छिपी चिंता पहचानना उनकी स्वाभाविक क्षमता थी। इसी कारण निमाड़ में हरित क्रांति की चर्चा जब भी होती है, सुभाष यादव का नाम केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में लिया जाता है।

सहकारिता आंदोलन की चर्चा सुभाष यादव के बिना अधूरी है। 1971 में प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्य के रूप में शुरू हुई उनकी यात्रा उन्हें लंबे समय तक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक के नेतृत्व तक ले गई। उन्होंने सहकारिता को आर्थिक व्यवस्था नहीं, सामाजिक न्याय का मंत्र बनाया। जवाहरलाल सहकारी सूत मिल और सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना उनके चिंतन की उपज थी। विदेशों में देखे गए प्रयोगों को उन्होंने निमाड़ की धरती पर उतारा। किसानों को बीज, ऋण और बाज़ार की सुलभ व्यवस्था देकर उन्होंने आत्मनिर्भरता की नींव रखी, जिसका लाभ आज भी हजारों परिवारों को मिल रहा है। एनएएफएससीओबी का 'सुभाष यादव अवॉर्ड' उनकी विरासत का प्रतीक है।

राजनीति में आने के बाद भी उनका मूल चरित्र नहीं बदला। वे उन नेताओं में नहीं थे जो जनता से केवल चुनाव के समय मिलते हैं। उनके लिए जनता ही राजनीति का केंद्र थी। 1980 और 1985 में खरगोन से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद भी उन्होंने अपनी जड़ों से दूरी नहीं बनाई। बाद में कसरावद से विधायक बनकर उन्होंने जनविश्वास की मिसाल स्थापित की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को एकजुट रखा। उनकी राजनीति जाति, क्षेत्र और स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की थी। वे कहा करते थे कि सत्ता किसान की सेवा के लिए है, शासन करने के लिए नहीं। यही कारण था कि संसद हो या विधानसभा, उनकी आवाज़ में निमाड़ के खेतों की गूंज सुनाई देती थी।

1993 में दिग्विजय सिंह सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रशासनिक दृढ़ता और जनपक्षधरता का उदाहरण बना। कृषि, सहकारिता, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने सिद्ध किया कि इच्छाशक्ति हो तो व्यवस्था बदली जा सकती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध 76 इंजीनियरों को सेवा से हटाने का साहसी निर्णय उस समय की राजनीति में असाधारण माना गया। किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिए गए उनके अनेक सुझावों में से कई आज भी कृषि नीति की आधारशिला हैं। उनका नेतृत्व भावुक नारों का नहीं, ठोस परिणामों का था।

यदि निमाड़ के विकास की कोई तस्वीर बनाई जाए तो उसमें नर्मदा का जल और सुभाष यादव का संकल्प साथ दिखाई देंगे। इंदिरा सागर बाँध सहित अनेक जल परियोजनाओं को गति देकर उन्होंने सूखे क्षेत्रों तक सिंचाई का विस्तार किया। नर्मदा की लहरों को खेतों तक पहुँचाने का उनका सपना लाखों किसानों के जीवन में हरियाली बनकर उतरा। यही कारण है कि जनता ने उन्हें केवल नेता नहीं, 'निमाड़ का भगीरथ' कहा। उन्होंने विकास को घोषणाओं में नहीं, खेतों की उपज, किसानों की मुस्कान और गाँवों की समृद्धि में मापा।

सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच उनका पारिवारिक जीवन अनुकरणीय था। पत्नी दामिनी यादव के साथ उनका संबंध सेवा, समर्पण और संस्कारों का संगम था। उन्होंने अपने पुत्रों अरुण यादव और सचिन यादव तथा चार पुत्रियों को शिक्षा, सम्मान और सामाजिक चेतना की विरासत दी। बोरावां स्थित उनका घर हमेशा लोगों से भरा रहता था। किसान, युवा, कार्यकर्ता और आमजन वहाँ सलाह, सहानुभूति और प्रेरणा पाने आते थे। वे धैर्यपूर्वक सुनते, मुस्कुराते और कुछ शब्दों में ही भरोसा जगा देते। परिवार और राजनीति के बीच उन्होंने जो संतुलन प्रस्तुत किया, वह आज भी प्रेरणा का विषय है।

शिक्षा और संस्थागत विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। बोरावां में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना ने ग्रामीण युवाओं के लिए आधुनिक तकनीकी शिक्षा के द्वार खोले। उन्होंने सैकड़ों विद्यालयों, सहकारी संस्थाओं और विकास परियोजनाओं को जन्म दिया। उनका स्वप्न था–हर किसान शिक्षित और आत्मनिर्भर बने, हर गाँव विकास की मिसाल बने। यूजीसी जैसे राष्ट्रीय मंचों पर उनकी भूमिका इस बात का प्रमाण थी कि वे शिक्षा और विकास को राष्ट्रनिर्माण का आधार मानते थे। उन्होंने कभी पद को प्रतिष्ठा का साधन नहीं बनाया; पद उनके लिए सदैव सेवा का माध्यम रहा।

आज उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि संकल्प है। सुभाष यादव का जीवन याद दिलाता है कि राजनीति का स्वरूप जनसेवा है, विकास का मॉडल सहकारिता है और नेतृत्व का धर्म लोगों को जोड़ना है। वे आज भी बोरावां की हवाओं में, नर्मदा की धाराओं में, सहकारिता की संस्थाओं में और किसानों की उम्मीदों में जीवित हैं। उनकी विरासत पुकारती है– किसानों की आवाज़ कभी दबने मत दो, सहकारिता की मशाल बुझने मत दो और सेवा के पथ से विचलित मत हो। मिट्टी के इस सपूत, हरित क्रांति के अग्रदूत, सहकारिता के पुरोधा और निमाड़ के भगीरथ को नमन। कुछ लोग जीवन जीते हैं, कुछ युग गढ़ते हैं; सुभाष यादव उन्हीं में से एक थे।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

दैनिक राशिफल

मेष कल का दिन उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ धन संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन कल आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता आपको सफलता दिलाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। किसी मित्र से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

कर्क भावनात्मक रूप से संतुलित रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

सिंह भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कन्या कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला कल का दिन शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिलेंगे। यात्रा का योग बन सकता है।

वृश्चिक धैर्य और संयम से काम लें। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं।

मकर करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

कुंभ भाग्यवृद्धि का दिन है। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं।

मीन सावधानीपूर्वक निर्णय लें। अनावश्यक विवादों से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें।

भेड़, बकरी एवं सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे रही 90 प्रतिशत तक अनुदान

लखनऊः प्रदेश में लघु पशुपालन क्षेत्र जैसे भेड़, बकरी एवं सूकर पालन को वैज्ञानिक, संगठित एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित दो दिवसीय 'यू.पी. स्मॉल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव-2026' का आयोजन हुआ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा गोवंश संरक्षण के साथ-साथ लघु पशुधन क्षेत्र के विकास को भी विशेष प्राथमिकता दे रही है।

लघु पशुपालन को रोजगार, पोषण और ग्रामीण समृद्धि के सशक्त साधन के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। लघु पशुपालन क्षेत्र में निवेश करने के लिए वर्तमान में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और उत्तम कनेक्टिविटी से पूंजी निवेश का सर्वाधिक अनुकूल अवसर और समय है।

उत्तर प्रदेश में पहली बार दो दिवसीय 'यू.पी. स्मॉल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव-2026' का आयोजन हुआ, जिसमें लघु पशुधन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया गया, जहां नवीन तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधानों, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन, निवेश तथा उद्यमिता विकास से जुड़े विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इससे प्रदेश में लघु पशुधन आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह कॉन्क्लेव प्रदेश में लघु पशुधन क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेगा तथा भेड़, बकरी एवं सूकर पालन को अधिक वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देशभर से आए वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, पशुपालकों और उद्यमियों द्वारा दिये गये सुझाव प्रदेश में लघु पशुधन विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे।

उत्तर प्रदेश जैव विविधता से समृद्ध देश का सर्वाधिक पशुधन संपन्न राज्य है। 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में लगभग 144.80 लाख बकरियां, 9.85 लाख भेड़ें तथा 4.09 लाख सूकर हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पोषण सुरक्षा तथा किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने में लघु पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रदेश के पशुधन विभाग द्वारा लघु पशुधन पशुपालकों के विकास हेतु बकरी पालन की योजना संचालित है, जिसकी प्रति इकाई लागत रू0 60,000 है, जो कि 90 प्रतिशत अनुदानित है। वर्ष 2025-26 में कुल 1786 इकाईयां स्थापित की

गयी तथा वर्ष 2026-27 में बकरी पालन की योजनान्तर्गत 1896 इकाईयों का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसी प्रकार भेड़ पालन की योजना वर्ष 2025-26 में 224 इकाईयां स्थापित की गई है। इसमें प्रति इकाई लागत 1,70,000 रूपये है जो कि 90 प्रतिशत अनुदानित है। वर्ष 2026-27 हेतु 225 भेड़ पालन इकाईयों का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में सूकर विकास हेतु सूकर पालन की योजना भी संचालित है, जिसमें वर्ष 2025-26 में 218 इकाईयों स्थापित की गई हैं। इसमें से एक इकाई लागत 1,47,400 रूपये है, यह भी 90 प्रतिशत अनुदानित है। वर्ष 2026-27 हेतु 218 सूकर पालन इकाईयों का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में लघु पशुपालन ग्रामीण महिलाओं, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा युवाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। भेड़, बकरी एवं सूकर पालन अपेक्षाकृत कम लागत में बेहतर आय प्रदान करने वाले व्यवसाय हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूती मिल रही है। प्रदेश सरकार लघु पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं विपणन सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है।

प्रदेश में पशुपालन एवं लघु पशुधन क्षेत्र के सतत विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग एवं ग्लोबल फोरम फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन (GFST) और पशुपालन विभाग एवं द गोट ट्रस्ट (The Goat Trust) के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों के तहत विभाग को नीतिगत एवं तकनीकी सहयोग, क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण, नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, नवाचार आधारित समाधान तथा बकरी पालन एवं पशुधन विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग प्राप्त होगा।

'यू.पी. स्मॉल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव-2026' वैज्ञानिकों, उद्यमियों और पशुपालकों के बीच ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान का प्रभावी मंच सिद्ध हुआ है, इसमें प्रदेश में लघु पशुधन आधारित उद्यमिता को नई गति मिलेगी। प्रदेश में श्वेत क्रान्ति, ब्लू क्रान्ति और पिंक क्रान्ति के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। लघु पशुधन आधारित उद्यम से पशुपालकों की आय में वृद्धि उत्पादकों की गुणवत्ता व विपणन को आधुनिक व सुगम बनाया जा रहा है, जो प्रदेश की आय में वृद्धि कर वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान प्रदान करेंगे।

-निधि वर्मा, सूचना अधिकारी

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**–उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 –9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

अग्निकांड के बाद फायर विभाग ने लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों का किया निरीक्षण

लालगंज (रायबरेली)। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग सतर्क हो गया है। शनिवार को अग्निशमन केंद्र के प्रभारी मुकेश गिरी के नेतृत्व में टीम ने नगर की लाइब्रेरी और शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई। टीम ने संज्ञान लाइब्रेरी, गुरुकुल कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य संस्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने भवनों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संचालकों को आग लगने की स्थिति में बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही फायर सेफ्टी के सभी नियमों का पालन करने और सुरक्षा उपकरणों को हमेशा क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए। अग्निशमन प्रभारी मुकेश गिरी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संस्थानों को फायर सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।

होटल में कारीगर का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, मचा हड़कंप

लालगंज, रायबरेली। कस्बे के निराला नगर स्थित एक होटल में शनिवार सुबह कारीगर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान आचार्य नगर निवासी मिथुन उर्फ अजय प्रजापति (30) पुत्र सत्यदेव के रूप में हुई है। अजय पिछले करीब नौ वर्षों से होटल में खाना बनाने का काम कर रहा था। शनिवार सुबह वह होटल के अंदर अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद होटल कर्मचारियों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि अजय मोबाइल चार्जिंग के दौरान करंट की चपेट में आया, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अजय चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसके परिवार में भाई श्रीकृष्ण, छोटेलाल, विनोद, पत्नी रूबी और सात वर्षीय बेटा वीरांश हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की

यूपी में अगले 6 महीनों में 15 लाख घरों तक पहुंचेगी PNG

लखनऊ। प्रदेश में एलपीजी (लाइट पेट्रोलियम गैस) पर निर्भरता घटाने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास रही है। वर्ष के बचे हुए छह माह में सरकार 15 लाख घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचायेगी। दक्षिण-पश्चिम एशिया में युद्ध से उपजे एलपीजी संकट से सबक लेकर सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया था। जिसके बाद तेजी से कनेक्शन दिये गये। 24 जून तक 1.60 लाख से अधिक घरों तक कनेक्शन पहुंच गया। सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 16,23,163 कनेक्शनों के लक्ष्य के मुकाबले 9.86 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है। यानी बचे हुए छह माह में 15 लाख घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है।

योगी सरकार के 'प्रोजेक्ट प्रवीण' से संवरेगा युवाओं का कल -मंत्री कपिल देव अग्रवाल

●वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 36,103 युवाओं का प्रशिक्षण लक्ष्य जारी

15 जुलाई 2026 से शुरू होंगी कक्षाएं, बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थी

आईटी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर समेत प्रमुख सेक्टर्स में मिलेगा प्रशिक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की मुहिम तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के अन्तर्गत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार का मुख्य ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी युवा हुनर से वंचित न रहे। 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के जरिए हम राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत कर रहे हैं। इस योजना के तहत आईटी (आईटी-आईटीईएस), हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, ब्यूटी एंड वेलनेस और कृषि जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्येक बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थियों की सीमा तय की गई है। इससे बच्चों को प्रयोगात्मक और व्यावहारिक ज्ञान बेहतर ढंग से मिल सकेगा। इस वर्ष प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रदेश भर में कुल 36,103 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे आगरा, बरेली, आजमगढ़, ललितपुर, वाराणसी, रामपुर, शाहजहांपुर, जालौन और सोनभद्र सहित राज्य के राजकीय विद्यालयों में सूची बद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपीएस) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सेक्टर्स में आईटी-आईटीईएस, हेल्थकेयर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, मैनेजमेंट, ग्रीन जॉब्स और एग्रीकल्चर शामिल हैं। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 300 घंटे होगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को सख्त समय-सीमा का पालन करना होगा। प्रशिक्षण प्रदाताओं को केंद्र की स्थापना, पंजीकरण और बैच निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर 15 जुलाई, 2026 तक हर हाल में कक्षाओं का संचालन शुरू करना होगा। बैच शुरू होने के 07 कार्य दिवसों के भीतर सभी छात्र-छात्राओं को पाठ्य सामग्री का वितरण कर उसकी तस्वीरें मिशन पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यदि कोई प्रशिक्षण प्रदाता समय पर कार्य आरंभ नहीं करता है या जनपद स्तर से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त विधिक कार्यवाही की जाएगी।

सम्पर्क सूत्र-धर्मवीर खरे

परिवहन मंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग 01 जुलाई से बसों के खिलाफ चलाएगा विशेष जांच अभियान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग 01 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान का लक्ष्य न केवल नियम लागू करना है, बल्कि स्कूल परिवहन को एक सुरक्षित जवाबदेह और पारदर्शी सेवा बनाना है। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस, सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन, जांच इत्यादि की जाएगी। जांच में बस बॉडी की संरचना, बस की छत की निर्धारित भार मानक के अनुसार मजबूती, सीट एवं सीट एंकरेज टेस्ट, बॉडी चेसिस माउंटिंग टेस्ट, आपातकालीन गेट इत्यादि पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही बसों में क्षमता के अनुरूप (02 केजी) एबीएस टाइप, ड्राई पाउडर, फायर उपकरण की जांच की जाएगी। अभियान के दौरान यह भी देखा जाएगा कि स्कूल बसों के लिए अधिनियम 125-सी सीएमवीआर 1989 के उपनियम 02 के तहत विशेष मानक निर्धारित किए गए है। उनका पालन किया जा रहा है या नही। इसके अंतर्गत बसों को गोल्डन यलों रंगों में रंगा होना, उसमें स्पष्ट रूप से स्कूल बस लिखा होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपातनिकास, स्टॉप सिग्नल आर्म, हैजर्ड वार्निंग सिस्टम एवं बच्चों की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन भी अनिवार्य है। बसों में स्पीड गवर्नर इलेक्ट्रानिक उपकरण, जो वाहन की अधिकतम गति निर्धारित सीमा से अधिक नही होने देता है, भी लगा होना चाहिए।

स्कूल बसों की अधिकतम गति सामान्यतः 40कि0मी0 प्रतिघंटा निर्धारित है। इसके अलावा बसों में ब्रेक प्रणाली, टायर व सस्पेंशन, लाइटिंग और संकेतक के साथ-साथ वैध दस्तावेजों (आरसी, परमिट बीमा, पीयूसी और वैध फिटनेस) की भी जांच की जाएगी। अभियान में प्रवर्तन दल नियमानुसार बसों के फिटनेस की जांच करेगा। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ चालान, वाहन निरूद्ध, फिटनेस निलंबन इत्यादि की कार्यवाही की जाएगी।

सम्पर्क सूत्र-आशीष सिंह

जिला कारागार में विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

● जागरूकता शिविर में बंदियों को बताए गए कानूनी अधिकार

निःशुल्क विधिक सहायता, जमानत प्रावधान और न्याय तक समान पहुंच की दी गई जानकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर(ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर आशीष जैन के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला कारागार सीतापुर में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों, शीघ्र न्याय प्राप्ति तथा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक या अन्य किसी कारण से कोई भी पात्र व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन सईद अहमद अंसारी, डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम ने किया। वहीं डिप्टी चीफ सुजीत बाजपेई ने बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, जमानत संबंधी प्रावधानों तथा विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। शिविर के दौरान बंदियों की

विधिक जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अशोक कुमार राना, रितिकेश श्रीवास्तव, जिला कारागार के जेल अधीक्षक सहित कारागार का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

01 जुलाई से लागू होगी विकसित भारत-जी राम जी योजना

● ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन के रोजगार का अवसर, आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण को मिलेगी नई गति

उत्तर प्रदेश में योजना के शुभारंभ की जोरदार तैयारियां- केशव प्रसाद मौर्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी)' ग्रामीण भारत के विकास और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, उनकी आय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा तथा गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि 01 जुलाई, 2026 से लागू होने वाली इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के सशक्त संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार की गारंटी अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यह निर्णय ग्रामीण श्रमिकों की आय वृद्धि, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और गांवों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि रोजगार के अतिरिक्त दिनों से ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत होगी, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के

'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मौर्य ने कहा कि वीबी-जी राम जी अभियान ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, पारदर्शी प्रक्रिया और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। योजना के प्रभावी संचालन से गांवों में रोजगार के साथ-साथ विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गांवों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश के ग्रामीण परिवारों की भी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

सम्पर्क सूत्र-बी0एल0यादव

मॉडल संकुल संघ के लेखाकार और एमआईएस सहायक का दस दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

● प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र किये गये वितरित

एस आई आर डी मे विभिन्न विषयो पर विशेषज्ञो द्वारा दिया जा रहा है प्रशिक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब में सरकारी, अर्धसरकारी विभागों, संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अत्यधिक दक्ष और सक्षम बनाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ मे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मॉडल संकुल संघ के लेखाकार एवं एमआईएस सहायक का दस दिवसीय आवासीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन 18 से 27 जून तक आयोजित किया गया यह प्रशिक्षण दीपा रंजन, मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आदेश पर आयोजित किया गया। संयुक्त मिशन निदेशक प्रवीणानंद ने बताया कि 'मॉडल संकुल संघ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लेखाकारों और एमआईएस सहायकों को वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन प्रणाली और डेटा प्रबंधन में दक्ष बनाना था, ताकि संकुल स्तरीय संघ पारदर्शिता और व्यावसायिकता के साथ कार्य कर सकें। विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षित प्रतिभागी अब समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और मिशन के श्गरीबी मुक्त गाँवश् के लक्ष्य को गति देंगे।' डॉ. नन्दकिशोर साह, मिशन प्रबंधक प्रभारी ने बताया कि प्रशिक्षण में गरीबी के विभिन्न आयामों पर समझ विकसित की गई। 'समूह क्या है, समूह की आवश्यकता क्यों है' और 'प्रभावी समूह के गुण' जैसे विषयों पर खुले सत्र के माध्यम से चर्चा की गई। विजन और मिशन पर चर्चा करते हुए सहभागी विधि से संकुल स्तरीय संघ के सामुदायिक ढांचे को समझाया गया। संगठन और उनके प्रकार पर प्रस्तुति एवं चर्चा के माध्यम से समझ विकसित की गई। प्रशिक्षण में संकुल स्तरीय संघ के तीन स्तंभों - सदस्यता, शासन और परिचालन - की भूमिका तथा जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। मॉडल संकुल स्तरीय संघ के कार्य निष्पादन सूचकांक, दृष्टि पत्र, महत्वपूर्ण हितधारकों की भूमिका, वित्तीय प्रणाली, लेखांकन चक्र, दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांत, रसीद-वाउचर, खाता बही प्रविष्टि,

प्राप्ति-भुगतान पत्रक, आय-व्यय विवरण, आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय प्रबंधन, ऋण प्रबंधन, वित्तीय कार्य निष्पादन सूचकांक, बचत, ऋण, बीमा आदि वित्तीय उत्पादों के महत्व पर गहन अभ्यास कराया गया। आंकड़ों एवं सूचनाओं के महत्व को समझाते हुए प्रतिभागियों से संकुल स्तरीय संघ के लिए योजना प्रपत्र भी भरवाए गए। डॉ सीमा राठौर, प्रशिक्षण प्रसार अधिकारी, डॉ नन्दकिशोर साह रिसोर्स पर्सन ने संयुक्त रूप से प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र विस्तृत किया प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जनपद गाजीपुर, कन्नौज, बिजनौर, शामली के प्रतिभागी शामिल हुए। समापन सत्र में राज्य संसाधन व्यक्ति बैजनाथ राम, जिला संसाधन व्यक्ति अमित कुमार सिंह तोमर, मेघा वर्मा, सोनिया, देवेंद्र मिश्रा, कुमारी विमलेश, राजेंद्र सिंह, सूरज सिंह सहित अन्य प्रशिक्षक एवं अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

सम्पर्क सूत्र-बी0एल0यादव

चकबंदी विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रादेशिक बैठक संपन्न

● पदोन्नति, स्थानांतरण, लंबित वेतन और सेवा संबंधी मुद्दों पर शासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में जून प्रादेशिक क्षेत्रीय मिनिस्टिरियल कर्मचारी संघ, चकबंदी विभाग की बैठक शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांधी भवन, कैसरबाग स्थित पुस्तकालय हाल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सक्सेना ने की। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप यादव, संयुक्त मंत्री नवीन प्रकाश पाल एवं राकेश कुमार, संगठन मंत्री नीरज कुमार अरुण, कार्यालय सचिव सरस्वती गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य सुनीता उपाध्याय, राहुल गुप्ता सहित प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी एवं विभिन्न जनपदों के अध्यक्ष और मंत्री उपस्थित रहे। बैठक में वर्ष 2014 की नियमावली के अनुसार जनपदीय कार्यालयों में प्रधान सहायक एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर शासन स्तर से शीघ्र पदोन्नति किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। साथ ही गृह जनपद में तैनाती की नीति लागू करने तथा यदि यह संभव न हो तो कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके गृह मंडल के भीतर किए जाने की मांग की गई। बैठक में जनपद कौशाम्बी के कर्मचारियों का मई माह का लंबित वेतन तथा वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रविष्टि शीघ्र उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, ताकि पदोन्नति एवं एसीपी से संबंधित किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ऐसा शासनादेश जारी करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत प्रत्येक माह के अंत में संबंधित जनपद के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी यह प्रमाणित करें कि उनके जनपद में किसी भी कर्मचारी की कोई समस्या लंबित नहीं है। बैठक में जनपद इटावा के कनिष्ठ सहायक प्रमोद कुमार की लंबित समस्याओं के समाधान पर भी सहमति व्यक्त की गई। साथ ही वर्तमान कार्यकारिणी को पूर्व की भांति सक्रिय एवं गतिशील बनाए रखने का संकल्प लिया गया। बैठक के अंत में अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सक्सेना ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह जानकारी संघ के महामंत्री रवि कुमार ने दी।

जमीन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाइ

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गाजियाबाद के बिल्डर संदीप सिंह से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। ईडी अगले सप्ताह आरोपित को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगा। ईडी की लखनऊ जोनल इकाई ने गुरुवार को गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में आरोपित तथा सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़े चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी की टीम को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। ईडी की अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि श्रेष्ठ प्रापबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संदीप सिंह भूमि घोटाले के मुख्य लाभार्थी है। आरोपित ने सशस्त्र सीमा बल के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के सदस्यों को आधी जमीन पर 264 फ्लैट बनाकर देने का वादा किया था। इसके बदले समिति की शेष आधी जमीन के विकास और बिक्री के अधिकार अपने पक्ष में ले लिए थे।

अनियंत्रित होकर पलटा ई-रिक्शा, चालक समेत चार घायल

गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर रोड पर अंबारा पश्चिम मोड़ के पास शनिवार को सवारियों से भरा एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक समेत चार लोग घायल हो गए। दो घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। डलमऊ थाना क्षेत्र के टप्पा हवेली पूरे बाबा गांव निवासी बृजेश ई-रिक्शा से परिवार की रिंकी, उनकी बेटियां जान्हवी (8) और तान्या (4) तथा बिट्टू देवी के साथ रालपुर में एक रिश्तेदार के यहां धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लौटते समय अंबारा पश्चिम मोड़ के पास ई-रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक बृजेश और रिंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों बच्चियों और बिट्टू देवी को मामूली चोटें आईं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बृजेश और रिंकी की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुबना गांव में फलदार पेड़ों पर ठेकेदार द्वारा चलाया गया आरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/ रायबरेलीः महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुबना गांव में फलदार पेड़ों की कथित अवैध कटान का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि, लकड़ी ठेकेदार 'जादूगर' द्वारा आम के हरे एवं सूखे फलदार पेड़ों पर बिना वैध अनुमति आरा चलवाकर शुक्रवार को कटान कराई गई। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि, वन विभागीय सूत्रों के अनुसार, संबंधित पेड़ों की कटान के लिए आवश्यक अनुमति होने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी में बिना वैध स्वीकृति के कटान किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, विभागीय स्तर पर मामले की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। इस बीच कथित अवैध कटान से जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल तस्वीरों के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है और ग्रामीणों ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि, यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे मामलों को बढ़ावा मिलेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि, यदि जांच में अवैध कटान की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले पर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगाहें टिकी हुई हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि, जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुबना गांव में फलदार पेड़ों की कथित अवैध कटान का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि, लकड़ी ठेकेदार 'जादूगर' द्वारा आम के हरे एवं सूखे फलदार पेड़ों पर बिना वैध अनुमति आरा चलवाकर शुक्रवार को कटान कराई गई। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि, वन विभागीय सूत्रों के अनुसार, संबंधित पेड़ों की कटान के लिए आवश्यक अनुमति होने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी में बिना वैध स्वीकृति के कटान किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, विभागीय स्तर पर मामले की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। इस बीच कथित अवैध कटान से जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल तस्वीरों के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है और ग्रामीणों ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि, यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे मामलों को बढ़ावा मिलेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि, यदि जांच में अवैध कटान की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले पर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगाहें टिकी हुई हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि, जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

टायर फटने से बेकाबू ही लोडर कार से टकराई पांच लोग घायल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज रायबरेली। कानपुर रायबरेली रोड पर आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के निकट शनिवार को पिकअप का अगला टायर फट जाने के कारण पिक अप पिक अप अनियंत्रित होकर कर से टकरा गई ऐसे कर सवार आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के कर्मचारी नेता समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को फौरन उपचार के लिए ओरेडिका के अस्पताल ले जाया गया। जहां पांचो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। इनमें कर्मचारी नेता की हालत गंभीर बताई जा रही है। आधुनिक डिब्बा कारखाना के कर्मचारी नेता ओम प्रकाश बेला खास में सिद्धार्थ ज्ञानोदय इंटर कॉलेज चलाते है। शनिवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकमल व शिक्षक संदीप कुमार कर में सवार होकर आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना से न्यायालय से संबंधित किसी कार्य को लेकर लखनऊ जा रहे थे। तभी आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के निकट सामने से आ रहे पिकअप वाहन का टायर अचानक फट गया और वह घूम कर सामने आ रही उनकी कार से टकरा गया। इससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फौरन उपचार के लिए ओरेडीका स्थित अस्पताल पहुंचाया गया। जहां प्रधानाचार्य व शिक्षक की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में फर्क किया गया जबकि कर्मचारी नेता की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया है। हादसे के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क हटाकर किनारे करवाया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली के होटल में पुलिस की गुंडागर्दी, महिलाओं से मारपीट के आरोप में एसआई पर गिरी गाज

दिल्ली। आदर्श नगर इलाके में स्थित एक होटल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें थप्पड़ मारे गए। इस घटना की वीडियो प्रसारित होने के बाद सब इंस्पेक्टर हिमांशु को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आदर्श नगर इलाके में स्थित होटल क्लाउड इन होटल, पंचवटी से पुलिस कार्रवाई का एक वीडियो प्रसारित हुआ। यह घटना तीन दिन पुरानी है और वीडियो में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। देर रात होटल में दो पक्षों के बीच हुए विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान आरोपित पुलिसकर्मी ने एक महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में दो महिलाओं को थप्पड़ मारे। वहीं, मामले में दूसरा पक्ष भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दूसरे पक्ष की एक महिला भी झड़प में घायल हुई है। फिलहाल आदर्श नगर थाना पुलिस पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में मौके पर मौजूद महिला पुलिस के भी बयान लिए गए हैं हालांकि उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस फुटेज के आधार पर डीसीपी आकांक्षा यादव ने एसआई को लाइन हाजिर कर मामले की जांच जिले की सतर्कता शाखा को सौंप दी है। उनका कहना है कि बृहस्पतिवार देर रात करीब डेढ़ बजे महिलाओं के दो समूहों में झगड़े की सूचना मिली थी। इस जानकारी के बाद आदर्श नगर थाने से एसआई हिमांशु पुलिसकर्मियों के साथ होटल में पहुंचे। इनमें एक महिला के पैर से खून निकल रहा था। जांच में मालूम हुआ कि यह महिला तीन साथियों के साथ इस होटल में ठहरी थी। इसी होटल में बुराड़ी निवासी एक और महिला भी रुकी थी। बताया जाता है कि दोनों समूहों में रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। घायल महिला का बीजेआरएम अस्पताल में मेडिकल कराया गया।अब पुलिस इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को जांच में शामिल करने के लिए नोटिस दिया है।

पुणे मंगेतर मर्डर केसः सिया-चेतन ने अपने 3 साल के प्लान के लिए ले ली केतन अग्रवाल की जान!

● सिया-चेतन की खौफनाक प्रेम कहानी ने लोगों के रौंगटे खड़े कर दिए हैं. दोनों पर मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है. केतन अग्रवाल की सिया से मंगनी हो चुकी थी. दोनों की शादी होने वाली थी, मगर इससे पहले ही उसकी मौत हो गई. अब दावा है कि 3 साल के प्लान के लिए चेतन और सिया ने केतन की हत्या कर दी.

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में खुलासों ने पूरे भारत को हैरान कर रखा है. मंगेतर की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर करने वाली सिया के कारनामे सभी को चौंका रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में यह बात सामने आई है कि सिया गोयल के प्रेमी चेतन चौधरी ने उससे शादी करने के लिए कम से कम तीन साल का समय मांगा था. फिलहाल सिया की उम्र 20 साल और चेतन की उम्र 22 साल है।

क्या था 3 साल वाला प्लान

साजिश के तहत, अगर केतन की हत्या हो जाती, तो परिवार में मातम के चलते अगले कुछ साल तक सिया की शादी की शायद बात नहीं उठती. इन तीन सालों में चेतन अपने करियर में सेटल होना चाहता था. वहीं, सिया को भी अगले तीन साल तक अपनी मर्जी से आजाद जिंदगी जीने का मौका मिल जाता. इसके बाद दोनों शादी करने वाले थे. इसी मंसूबे के चलते दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया. आरोपियों की गूगल सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि उन्होंने हत्या किन-किन तरीकों से की जा सकती है, इससे जुड़े कई वीडियो देखे थे. जांच में यह भी साफ हुआ है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इसी साल फरवरी महीने से ही केतन की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया था।

सिया की मां ने बेटी पर क्या कहा

सिया की मां पूजा गोयल ने घटना पर हैरानी जताते हुए कहा, 'जब मैंने इस घटना के बारे में सुना, तो हैरान रह गई. मैं सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है. केतन का परिवार आज जो दुख झेल रहा है, वह बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि दो परिवार बर्बाद हो गए हैं.'' उन्होंने कहा कि केतन बहुत अच्छा इंसान था. अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, भले ही वह मेरी बेटी ही क्यों न हो.' उन्होंने कहा, 'अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है, तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक दिया जाना चाहिए, जहां से केतन गिरा था।'

सिया के पापा ने बेटी पर क्या कहा

वहीं, सिया के पापा प्रवीण गोयल ने केतन की मौत पर दुख जताया और कहा कि केतन के परिवार के लिए यह नुकसान बहुत बड़ा है. प्रवीण गोयल ने कहा, 'जो हुआ वह बहुत दुखद घटना है. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है. उन्होंने अपना बेटा खो दिया है. मैं उससे बहुत प्यार करता था. मैं उससे इतना जुड़ा हुआ था कि मानो उसको अपना बेटा ही मानने लगा था. इतना प्यारा, होनहार और अच्छा लड़का आज हमने उसे खो दिया. एक पिता के तौर पर मैं कहूंगा, उन्होंने अपना बेटा खो दिया, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता. कुछ दिन पहले ही उन्होंने सिया का जन्मदिन मनाया था और आगे एक बेहतर जिंदगी के सपने देखे थे।'

सुनील शेट्टी ने बताई 15 महीने की नातिन इवाराह की सुबह की आदत, कहा- 'वह पीएम मोदी की तस्वीर को लड्डू खिलाती है'

● सुनील शेट्टी ने नातिन के बारे में कहा, वह मोदी जी मोदी जी कहती है और पीएम मोदी को लड्डू खिलाती है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली: वेलकम टू द जंगल एक्टर सुनील शेट्टी अक्सर अपनी नातिन इवाराह के बारे में बात करते हैं और उसकी आदतों का जिक्र इंटरव्यू में करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने टाइम्स नाओ के साथ बातचीत में खुलासा किया कि इवाराह की सुबह की दिनचर्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लड्डू चढ़ाना शामिल है. उन्होंने याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी से इवाराह को एयरपोर्ट पर उनकी नैनी ने मिलवाया और तब से वह उनकी तरफ आकर्षित हुई. उन्होंने कहा, मैं हमेशा से उनका (पीएम मोदी) का फैन रहा हूं. मैं पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा. मैं एक लीडर के बारे में बता रहा हूं. अगर कोई लीडर मुझे खुश करता है तो करता है।

पीएम मोदी को खिलाती है इवाराह लड्डू

आगे उन्होंने कहा, मैं अपने देश से जितना प्यार करता हूं, उतना ही अपने मैन से भी करता हूं. उनमें कुछ तो खास बात है. मेरी नातिन 15 महीने की है. एक बार एयरपोर्ट पर उसकी नैनी ने उसे मोदी जी के बारे में बताया था. अब, वह हर सुबह साई बाबा की किताब खोलती है, जिसमें मोदी जी की भी तस्वीर है. वह फोटो खोलकर कहती है मोदी जी. वो गणपति जी की मूर्ति से लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है. मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा. ना ही उसके पेरेंट्स ने. यह उनके बारे में है. बहुत मैजिकल है। इवाराह के बारे में एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल ने 24 मार्च 2025 में पहले बच्चे का स्वागत किया. वहीं बेटी का नाम केएल राहुल के बर्थडे पर इवाराह का खुलासा किया. इसका मतलब भगवान का तोहफा. हालांकि जन्म के बाद से ही लाइमलाइट से दूर रही हैं. वहीं खास मौकों पर उन्होंने बेटी की झलक तो दिखाई. लेकिन चेहरा नहीं. हालांकि सुनील शेट्टी ने बताया कि इवाराह अथिया 2.0 है।

विराग राजू थापर ने 'खत्री अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड', लुधियाना के चेयरमैन का संभाला पदभार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना- कुछ रोज़ पहले पंजाब सरकार ने चिराग राजू थापर को खत्री अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड, लुधियाना का चेयरमैन बनाया था और आज उनके सम्मान में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रधान जतिंदर खंगूड़ा, लोकसभा लुधियाना इंचार्ज शरण पाल मक्कड़, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, पंजाब इंफोटेक के वाइस चेयरमैन प्रदीप खालसा, ब्राह्मण बोर्ड के चेयरमैन पंकज शारदा, पार्षद मनी राम भगत जी पहुंचे। जतिंदर खंगूड़ों ने कहा कि चिराग थापर लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्हें पहले भी अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसमें उनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें चेयरमैन के पद से सम्मानित किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वह पार्टी को और मजबूत करेंगे।लोकसभा इंचार्ज शरणपाल मक्कड़ ने कहा कि चिराग थापर युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे और खत्री अरोड़ा समाज की भलाई के लिए भी बेहतर काम करेंगे।

चिराग थापर ने इस ज़िम्मेदारी के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस ज़िम्मेदारी को पूरी लगन से निभाएंगे और पार्टी के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। इस मौके पर पूर्व पार्षद बलजिंदर संधू, सुनील थापर, अमरजीत सिंह गोल्डी, राजेश महान, अनिल थापर, प्रभात शुक्ला, दीपक थापर, बंटी सहगल, अमित ग्रोवर, रॉबिन गोगना, विकास गोयल, गगनदीप ओबेरॉय, अशोक बिट्टू, हरदीप विक्की, राहुल शर्मा आदि मौजूद थे।

45 दिनों का काम चार वर्षों से अधूराः 1.34 करोड़ की डीप सीवर परियोजना बनी मधु विहार के हजारों लोगों के लिए खतरा

● 30 फीट गहरा खुला गड्ढा, घंटों का जाम और स्कूली बच्चों सहित हजारों लोगों की जान पर बना जोखिम; रणबीर सिंह सोलंकी ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- द्वारका सेक्टर-3 स्थित मधु विहार में दिल्ली जल बोर्ड की डीप सीवर परियोजना लगभग चार वर्षों से अधूरी पड़ी होने के कारण स्थानीय निवासियों में गहरी चिंता और रोष व्याप्त है। परियोजना के तहत खोदा गया लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया गया है। क्षेत्रवासियों के अनुसार इससे प्रतिदिन राहगीरों, स्कूली बच्चों महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों तथा वाहन चालकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है।जानकारी के अनुसार, मधु विहार में वर्षों से चली आ रही सीवर निकासी समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने डीप सीवर सिस्टम निर्माण का टेंडर स्वीकृत किया था। 27 अप्रैल 2022 को लगभग 1.34 करोड़ की लागत से कार्यादेश जारी किया गया। अनुबंध के अनुसार यह कार्य 45 दिनों में पूरा किया जाना था लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के लगभग चार वर्ष बाद भी परियोजना अधूरी पड़ी है। परियोजना के तहत मधु विहार सी-ब्लॉक स्थित महाराणा प्रताप द्वार के निकट सर्विस रोड पर लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया।यह सर्विस रोड केवल एक सामान्य सड़क नहीं बल्कि मधु विहार के हजारों निवासियों की जीवनरेखा है। यही मार्ग मधु विहार को द्वारका सेक्टर-2 तथा आसपास के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक सुविधाओं एवं मुख्य यातायात नेटवर्क से जोड़ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र द्वारका सेक्टर-2 स्थित सरकारी विद्यालय एमसीडी प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र में संचालित महिला सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र सामुदायिक भवन तथा भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज तक इसी मार्ग से पहुँचते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य स्थानीय निवासी आरोग्य मंदिर डिस्पेंसरी पार्क तथा द्वारका गुरुग्राम पालम एवं आईजीआई पालम एयरपोर्ट सहित विभिन्न स्थानों तक आने-जाने के लिए भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान इस खुले गड्ढे के कारण कई दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हुए हैं। 31 अक्टूबर 2023 को एक इको कार भी इस गड्ढे में गिर गई थी, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हुआ था वर्तमान में मार्ग के एक हिस्से को बंद कर दिया गया है। सड़क निर्माण अधूरा होने के कारण इस मार्ग पर प्रतिदिन घंटों लंबा जाम लगा रहता है। दूसरी ओर की सर्विस लेन भी लगभग अनुपयोगी हो चुकी है, जिसके चलते अनेक दोपहिया वाहन चालकों को मजबूरी में गलत दिशा से वाहन चलाना पड़ता है। इससे दुर्घटना की आशंका और अधिक बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए परेशानी और जोखिम का कारण बनी हुई है फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम के चेयरमैन एवं समाजसेवी रणबीर सिंह सोलंकी ने कहा कि पिछले लगभग चार वर्षों से वे और क्षेत्रवासी लगातार दिल्ली जल बोर्ड तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतें एवं अनुरोध भेजते रहे हैं, लेकिन आज तक परियोजना पूरी नहीं हो सकी सोलंकी ने कहा यह केवल अधूरी निर्माण परियोजना का मामला नहीं है, बल्कि हजारों नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और जीवन से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। यह सर्विस रोड मधु विहार की जीवनरेखा है जहाँ से प्रतिदिन स्कूली बच्चे महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक नौकरीपेशा लोग और हजारों नागरिक आवागमन करते हैं। जिस परियोजना को मात्र 45 दिनों में पूरा होना था वह लगभग चार वर्ष बाद भी अधूरी है। नई सरकार को कार्यभार संभाले भी एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। जनता को उम्मीद थी कि वर्षों से लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। कुछ माह पूर्व जनकपुरी की दुखद घटना के बाद सुरक्षा के नाम पर केवल बैरिकेडिंग कर औपचारिकता पूरी कर दी गई

जबकि स्थायी समाधान आज तक नहीं किया गया। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं बल्कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराना है ताकि किसी भी परिवार को टाली जा सकने वाली दुर्घटना का सामना न करना पड़े।सोलंकी ने माननीय उपराज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली से मांग की है कि– डीप सीवर परियोजना को युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए।लगभग 30 फीट गहरे खुले गड्ढे को तत्काल सुरक्षित कर आमजन के लिए मार्ग पूरी तरह बहाल किया जाए। परियोजना में हुई लगभग चार वर्षों की देरी की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों, संबंधित एजेंसी तथा ठेकेदार की जवाबदेही तय की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी एवं प्रभावी वैकल्पिक यातायात व्यवस्था तत्काल लागू की जाए।उन्होंने कहा कि समय रहते आवश्यक कदम उठाकर किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सकता है। जनहित से जुड़े इस विषय में प्रशासन से शीघ्र संवेदनशील और ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के फुटपाथों पर अतिक्रमण जारी, जोखिम में राहगीरों की जान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि यह अधिकार मोटर वाहनों के विशेषाधिकार से ऊपर है। इसके बाद यह उम्मीद जगी थी कि संबंधित एजेंसियां अब इसके क्रियान्वयन में लग जाएंगी, लेकिन चार दिन बाद भी दिल्ली में कहीं भी फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए कोई बड़ा अभियान नहीं शुरू किया गया है। अब भी विभिन्न इलाकों में फुटपाथ पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग हो रही है, रेहड़ियां लगी हैं और दुकानदार अब भी अपनी दुकान का सामान फुटपाथ पर लगा रहे हैं। फुटपाथ पर अतिक्रमण का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। उनको सड़क पर जाना पड़ता है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। दिल्ली में हर साल 600 से अधिक राहगीरों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। वर्ष 2022 में फुटपाथ पर अतिक्रमण होने से सड़क पर चलने वाले 629 राहगीरों की सड़क हादसों में मौत हो गई थी। इसी तरह 2023 में 622, 2024 में 624 और 2025 में 649 राहगीरों की सड़क हादसों में मौत हो गई। इसके बावजूद एनडीएमसी, एमसीडी, पुलिस-प्रशासन अब तक कोई सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। निगमबोध घाट के सामने रिंग रोड के एक तरफ फुटपाथ पर दुकानदारों ने न केवल अपनी दुकानों का सामान फैला रखा है, बल्कि तिरपाल टांग कर रहने के लिए आशियाने भी बना लिए हैं। फुटपाथ पूरी तरह ब्लाक होने के कारण राहगीरों को मजबूरी में तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच मुख्य मार्ग या सर्विस लेन पर चलना पड़ रहा है। यही चिंताजनक स्थिति पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के प्रमुख ऐतिहासिक बाजारों में भी है। चांदनी चौक स्थित टाउन हाल के समीप गांधी पार्क की दीवार के पास साइकिल और फुटपाथ पर मोटरसाइकिल खड़ी की जाती हैं। इससे राहगीरों को आवाजाही करने के लिए जगह नहीं बजती। इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के फुटपाथ को अब पूरी तरह से रिक्शा स्टैंड बना दिया गया है।

चित्तरंजन पार्क थाना पुलिस ने वाहन चोरी के दो मामलों का किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिण जिला पुलिस के चित्तरंजन पार्क थाना पुलिस ने वाहन चोरी के दो मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जो गोविंदपुरी थाना क्षेत्र से चोरी हुई थीं।पुलिस के अनुसार, 26 जून 2026 को हेड कांस्टेबल सज्जन और हेड कांस्टेबल सिरमोहर नियमित गश्त के दौरान अलकनंदा स्थित मंदाकिनी एन्क्लेव, गेट नंबर-6 के सामने पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर उसकी जांच की गई।मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर का सत्यापन करने पर पता चला कि यह वाहन गोविंदपुरी थाना के ई-एमवीटी नंबर 002103/2026 में चोरी दर्ज था।पूछताछ के दौरान मोटरसाइकिल चला रहे सुमित कुमार सिंह ने बताया कि उसने यह बाइक सूरज सरकार से प्राप्त की थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सूरज सरकार को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो गोविंदपुरी थाना के ई-एफआईआर नंबर 032103/2023 में चोरी की दर्ज थी।पुलिस ने दोनों चोरी की मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई को हेड कांस्टेबल सज्जन और हेड कांस्टेबल सिरमोहर की टीम ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनीश शर्मा के नेतृत्व तथा एसीपी सी.आर. पार्क के समग्र पर्यवेक्षण में अंजाम दिया।गिरफ्तार

आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय सूरज सरकार, निवासी टी.के.डी. गांव, नई दिल्ली तथा 18 वर्षीय सुमित कुमार सिंह, निवासी तुगलकाबाद, नई दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।

घाघरा ओर डीमोउ नदी की बाढ़ में 20 से अधिक गांव प्रभावित

● जलमग्न कृषिभूमि , पशुधनों को लेकर चिंतित किसान सरकार से मदद की गुहार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम धेमाजी। धेमाजी जिले की असम ओर अरुणाचल प्रदेश के सीमांत इलाके में हो रही तेज बारिश के वेज से अरुणाचल से धेमाजी जिला होकर बहती कई नदी उफान पर है। मुख्यरूप में सीमेन, डिमो, गगरा ओर गाई नदी सुबह भयंकर रूप में वेहे रही है। गगरा ओर डेमो नदी की बड़ती पानी में मुक्तियार , चिमनमुख और नामनी सिलासुती ग्राम पंचायत के अधीन 20 से अधिक गांव को प्रभावित किया। इनमेस दोनों नदियों ने अधिक नामनी सीलासुंती गाँव पंचायत के उत्तर सीलाबाली गाँव, पूर्व सीलाबाली गाँव, गौरांगपुर, भैयाम बेलगुड़ी, महारानी पुर और मुक्तियार गाँव पंचायत के भैरबपुर, काकबारी, सोनालीपुर, करेंगबस्ती, आशीघर-दसघर गांव को ज्यादा प्रभावित किया। सीमेननमुख, मुक्तियार और नामनी सीलासुती ग्राम पंचायतों के निवासियों के मुख सड़क जलमग्न होने की वजे से यातायात की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखित पंचायत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सरकार से मदद की मांग की है।

उफनती विमेन नदी के बाढ़ ने उठा दिया रेलवे का पुल

पमुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले सभी सभी रेल रद्द

असम धेमाजी। असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से धेमाजी जिले में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। शाम को करीब तीन बजे से चिमन नदी में पानी ओर ज्यादा बढ़ने लगी उफनती पानी ने नदी के उपर बनी रेलवे पुल के पश्चिम तट के एक खंभे से हटा दिया। पुल रेल लाइन के पट्टी के वेज के लटके हुए हैं। इसी दौरान रंगिया, डेकार गांव से सिलापथार होकर मुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन तक जाने ओर आने वाले सभी रेलों के आवागम रद्द कर दी गई है।

नाबालिग से कराई जा रही थी हेरोइन की सप्लाई, 20 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया

दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे नशे पर लगाम, देश को सलाम अभियान के तहत एक नाबालिग को 20 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। पुलिस ने नशीले पदार्थ की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही टीवीएस एन-टार्क स्कूटी भी जब्त की है। उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल लगातार नशा तस्करों पर नजर रख रही थी। जांच के दौरान पता चला कि पुलिस की सख्ती के चलते हेरोइन सप्लायर संदेह से बचने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल फोन के माध्यम से हेरोइन की सप्लाई करा रहे हैं। सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात विकासपुरी-उत्तम नगर नाला रोड स्थित फल मंडी के पास घेराबंदी की गई। वहां स्कूटी से हेरोइन की खेप पहुंचाने आए एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी तलाशी में 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में उत्तम नगर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया है कि वह रणहौला क्षेत्र में रहने वाले एक कथित ड्रग तस्कर के निर्देश पर हेरोइन की सप्लाई करता था। उसे किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया।

बराक घाटी में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की मांग तेज, हाइलाकांडी में जिला समिति का गठन

● विधायक डॉ. मिलन दास ने स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग का किया समर्थन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: असम के बराक घाटी में गौहाटी हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग को लेकर 28 जून रविवार को हाइलाकांडी के मैत्री भवन में एक महत्वपूर्ण नागरिक सभा आयोजित की गई। सभा में अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वर्गों के 100 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हाइलाकांडी के विधायक डॉ. मिलन दास ने बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित और न्यायोचित मांग है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मांग को पूरा कराने के लिए वे हरसंभव प्रयास करेंगे। साथ ही आंदोलन से जुड़े संगठनों द्वारा जनजागरूकता और जनसमर्थन जुटाने की पहल की सराहना भी की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में बराक घाटी के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, धन और संसाधनों की भारी हानि होती है। उनका कहना था कि स्थायी हाईकोर्ट पीठ की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को न्याय तक आसान और समान पहुंच सुनिश्चित होगी। बैठक में सर्वसम्मति से हाईकोर्ट बेंच डिमांड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, हाइलाकांडी जिला का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष के रूप में मानव चक्रवर्ती को चुना गया, जबकि विभिन्न पदों पर अधिवक्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्णय लिया गया कि समिति के तीन प्रतिनिधि 16 जुलाई को गौहाटी हाईकोर्ट में प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभा के अंत में स्थायी हाईकोर्ट पीठ की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें करीब 300 नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन जताया। वक्ताओं ने कहा कि यह किसी क्षेत्रीय या राजनीतिक हित का मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान के तहत सभी नागरिकों को न्याय तक समान और सुलभ पहुंच दिलाने की मांग है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।

ड्रग्स तस्कर को बहन की शादी के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत

● दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ड्रग्स तस्कर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और एनडीपीएस अधिनियम के सख्त प्रावधानों का हवाला दिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। बिहार में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर 20 दिन की अंतरिम जमानत की आरोपित की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। ड्रग्स की तस्करी और 40 किलो से ज्यादा मात्रा में गांजा रखने के आरोपित की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पर लगे आरोप की गंभीर हैं और उसके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड व भारी मात्रा में बरामद किए गए ड्रग्स को देखते हुए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनता है। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत हुई प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपित एक आदतन अपराधी है और उसे 40 किलो से ज्यादा गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपित के अन्य भाई भी हैं जो बहन की शादी में धार्मिक रस्में निभा सकते हैं। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत के नियम बहुत सख्त हैं और अंतरिम जमानत देने की शक्ति का इस्तेमाल अदालत विशेष स्थिति में ही कर सकती है। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा-37 के तहत पाबंदियां अनिवार्य हैं और ये जमानत देने से जुड़े सामान्य नियमों से ऊपर हैं। ऐसे में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में अंतरिम या नियमित जमानत केवल बहुत विशेष और असाधारण हालात में ही दी जा सकती है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता इस मामले में कोई असाधारण या ठोस वजह नहीं दिखा पाया और वह इस स्तर पर अंतरिम जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।